

हिमाचल प्रदेश सरकार
जनजातीय विकास विभाग

संख्या: टी0बी0डी0(ए)4-3/2022, शिमला-171002, दिनांक, 01 मई, 2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् के गठन सम्बन्धी पिछली सभी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् नियमावली, 1976 के नियम 3(1) तथा नियम 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् का उन क्षेत्रों के लिए सहर्ष निम्न प्रकार से तत्काल पुनर्गठन करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में 'अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975' के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं इस परिषद् का कार्यकाल दो वर्ष का होगा:-

- | | |
|--|-----------|
| 1. श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व एवं जन जातीय विकास मन्त्री हिमाचल प्रदेश | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री रवि ठाकुर, विधायक लाहौल स्पिति
होटल आई बैक्स (Hotel Ibex) गांव व डाकखाना जिस्पा,
तहसील केलांग, जिला लाहौल स्पिति । | सदस्य |
| 4. डा0 जनक राज, विधायक भरमौर,
गांव सवानपुर (Savanpur) डाकखाना एवं तहसील भरमौर
जिला चम्बा । | सदस्य |
| 5. श्री हेमराज सुपुत्र श्री धनिया राम गांव व
डाकखाना ऊलांसा तहसील भरमौर, जिला चम्बा । | सदस्य |
| 6. श्री रवि शर्मा सुपुत्र श्री लक्ष्मण दत्त गांव व डा0 भरमौर
जिला चम्बा । | सदस्य |
| 7. श्री सतीश शर्मा सुपुत्र श्री ध्यान चंद गांव परमस
डाकखाना किलाड, तहसील पांगी, जिला चम्बा । | सदस्य |

8. श्री दौलत राम, सुपुत्र श्री बलराम गांव व
डाकखाना साच, तहसील पांगी, जिला चम्बा। सदस्य
 9. श्री सोनम तर्गे सुपुत्र श्री छेरिंग तर्गे
गांव व डाकखाना काजा, जिला लाहौल-स्पिति। सदस्य
 10. श्री छेवांग, गांव व डाकखाना, मुद पिन वैली,
तहसील काजा, जिला लाहौल-स्पिति। सदस्य
 11. श्री सुशील एडवोकेट, सुपुत्र श्री पुंचोग गांव व
डाकखाना चोकांग, तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति। सदस्य
 12. श्री मोहन लाल सुपुत्र श्री रिनचैन गांव गोम्पा थंग
डाक खाना सिस्सू, तहसील केलांग, जिला लाहौल-स्पिति। सदस्य
 13. एडवोकेट अमर चंद, सुपुत्र श्री अकल दास नेगी
गांव रांग नजदीक लोक निर्माण कार्यशाला रिकांगपिओ,
तहसील कल्पा, जिला किन्नौर-172107। सदस्य
 14. डा0 सूर्य प्रकाश बोरस, सुपुत्र श्री बलराज गांव व
डा0घ0 ठंगी (Thangi) तहसील मूरंग, जिला किन्नौर-172109 सदस्य
 15. श्री बीर सिंह सुपुत्र स्वर्गीय श्री छेरिंग बर गांव व
डा0घ0 टापरी, तह0 निचार, जिला किन्नौर-172104। सदस्य
 16. श्री सुख देव, सुपुत्र श्री नग्मयाल सिंह,
(Namgial Singh) गांव व डाकखाना रामनी,
तहसील निचार, जिला किन्नौर- 172104। सदस्य
 17. श्री केसर नन्द नेगी, सुपुत्र श्री जसवंत सिंह गांव व
डाक खाना कानम, तहसील पूह, जिला किन्नौर-172110 सदस्य
 18. श्री जय किशन नेगी, सपुत्र स्वर्गीय श्री गंगा सैन
गांव व डा0घ0 दुनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर-172108 सदस्य
2. जन जातीय सलाहकार परिषद में मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार पदेन सचिव
व आयुक्त एवं प्रधान सचिव जन जातीय संयुक्त पदेन सदस्य होंगे।
 3. कम संख्या 5 से 18 तक अंकित सदस्य उनके मनोनयन की तिथि से नियम 5(2
तथा 3) के अर्न्तगत इस परिषद के, दो वर्ष की अवधि के लिए पदासीन रहेंगे परन्तु

इन्हें इस अवधि से पूर्व भी राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, की खुशनूदी पर दो वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व भी सदस्यता से हटाया जा सकता है।

4. इस परिषद के सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों के अनुसार वर्णित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा।
5. संयुक्त निदेशक (जन जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश, गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता की अदयगी के सम्बन्ध में नियन्त्रक अधिकारी होंगे।

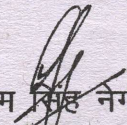
आदेश द्वारा,
(ओंकार चन्द शर्मा)
प्रधान सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: टी0बी0डी0(ए)4-3/2022 दिनांक शिमला-2, ७/मई, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 ।
2. प्रधान सचिव मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 ।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-171002 ।
4. प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 ।
5. निजी सचिव माननीय राजस्व, बागवानी एवं जन जातीय विकास मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 ।
6. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 ।
7. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
9. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
10. आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ।
11. अतिरिक्त उपायुक्त, स्पति स्थित काजा, हिमाचल प्रदेश ।
12. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हि0प्र0 ।
13. परियोजना अधिकारी आई0टी0डी0पी0 किन्नौर, केलोंग, काजा, पांगी तथा भरमौर हिमाचल प्रदेश ।
14. समस्त सदस्यगण कम संख्या 5 से 18 तक ।
15. संयुक्त सचिव(टीडी) जन-जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-11001 ।
16. निदेशक, अनुसूचित जाति /जन- जाति राष्ट्रीय आयोग, छठी मंजिल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर 9-ए, चण्डीगढ़-160017 ।

17. आयुक्त (ज० जा०) हिमाचल प्रदेश ।
18. निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2, को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
19. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि० प्र०, शिमला-5 को On Line Portal के माध्यम से उक्त अधिसूचना को हि० प्र० राजपत्र में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु प्रस्तुत है। तथा उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजें।
20. उप महा निदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश सचिवालय को इस आशय से अग्रेषित है कि इस अधिसूचना को जन जातीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।


(विक्रम सिंह नेगी)
संयुक्त सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
E-mail- tdbranch479@gmail.com

हिमाचल प्रदेश सरकार
जनजातीय विकास विभाग

संख्या: टी0बी0डी0(ए) 4-3/2022, शिमला-171002, दिनांक, 01 मई, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् में
निम्नलिखित विशेष आमन्त्रित (Special Invitee) सदस्यों को मनोनीत करने के सहर्ष
आदेश देते हैं:-

1. श्रीमति ललिता देवी पत्नि श्री सुभाष चन्द गांव व डाकखाना
खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर- 172107
2. श्रीमति आशा नेगी पत्नि श्री गलदेन संगे (Sh.Galden Sangey) गांव व
डाक खाना लिप्पा, तहसील पूह, जिला किन्नौर- 172109 ।
3. श्री वीर भगत सपुत्र श्री ताशी छेरिंग गांव व डाक खाना हंसा, तहसील
काजा, जिला लाहौल -स्पिति।
4. श्री रोप चिक, सुपुत्र श्री दोरजे अंगरूप गांव व डाक खाना काजा,
तहसील काजा, जिला लाहौल -स्पिति।

आदेश द्वारा,
(ओंकार चन्द शर्मा)
प्रधान सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: टी0बी0डी0 (ए) 4-1/2018, दिनांक शिमला-2, 01 मई, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 ।
2. प्रधान सचिव मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 ।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-171002 ।
4. प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 ।
5. निजी सचिव माननीय राजस्व, बागवानी एवं जन जातीय विकास मन्त्री हिमाचल
प्रदेश सरकार शिमला-171002 ।
6. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 ।
7. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश सरकार ।

9. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड़, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ।
11. अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति स्थित काजा, हिमाचल प्रदेश ।
12. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ।
13. परियोजना अधिकारी, आई0टी0डी0पी0 किन्नौर, केलांग, काजा, पांगी तथा भरमौर हि0 प्र0 ।
14. समस्त सदस्यगण कम संख्या 1 से 4 तक ।
15. संयुक्त सचिव (टीडी) जन-जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1
16. निदेशक, अनुसूचित जाति / जन-जाति राष्ट्रीय आयोग, छठी मंजिल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर 9-ए, चण्डीगढ़-160017
17. आयुक्त (ज0 जा0) हिमाचल प्रदेश को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है ।
18. निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2, को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
19. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला-5 को online Portal के माध्यम से उक्त अधिसूचना को हि0 प्र0 राजपत्र में शीघ्र प्रकाशित करने हेतु प्रस्तुत है। तथा उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति इस विभाग को रिकार्ड हेतु भेजें।
20. उप महा निदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश सचिवालय को इस आशय से अग्रेषित है कि इस अधिसूचना को जन जातीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

(विक्रम सिंह नेगी)
संयुक्त सचिव (जन जातीय विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
E-mail- tdbranch479@gmail.com